फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्रीमती भागुती देवी बनाम गिरधारी लाल (कीरा)

किस्म मुकदमा प्रा.पत्र 111/128 नं0 82 सन् 2021

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
-7.21	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 27.8.21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
27/8/21	उभय पक्ष ... पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 28.9.21 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
8.12.21	पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 केम्प ग्राम पचायत आलमास मे पेश हुई, अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए एव तहसीलदार मांडल पटवार हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट पेश की गई जिसे शा.प० किया गया। पार्टियों का राजीनामा स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा.प० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। डॉ. पूजा सक्सेना उपखण्ड अधिकारी माण्डल	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 15:09:15 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

दमा संख्या :- 82/21 प्रा.पत्र

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

श्रीमती भागुती देवी w/o नन्दलाल गाडरी निवासी- किशनपुरा त० मांडल --प्रार्थी

बनाम

श्री गिरधारीलाल S/o छोगा कुम्हार निवासी- किशनपुरा त० मांडल
श्री बक्षु S/o श्री रूपा गाडरी निवासी- किशनपुरा त० मांडल --विपक्षीगण
राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार सा. मांडल त० मांडल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक 8/12/21

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर वेदन किया कि ग्राम......किशनपुरा......पटवार हल्का......आलमास......तहसील मांडल/में उसके ाते /संयुक्त खातों की आराजी नं......572/517......कुल किता ......01...... कबा......0.5059......हेक्टेयर......—......स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी तदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक......22.7.21......को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को वलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी करने का धिकारी है । वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फेरी होने का अंदेशा हीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है । अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम......किशनपुरा...... पटवार हल्का......आलमास......तहसील मांडल में स्थित आराजी नं......572/517...... ......कुल किता......01......रकबा......0.5059......हेक्टेयर......—...... भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है । पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक......आलमास......को......500/-...... रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें । कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की स्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें । फसल खड़ी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जावे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 15:09:15 IST
Reason: SelfAttested

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला-भीलवाड़ा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें ।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला-भीलवाड़ा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021